



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आषाढ़ 1948 (श10)
(सं० पटना 758) पटना, वृहस्पतिवार, 9 जुलाई 2026

सं० प्र०-IV-लघु खनन(स्टो०)-03 / 26-4282 / एम०
खान एवं भूतत्व विभाग

संकल्प

6 जुलाई 2026

विषय:- बिहार राज्यान्तर्गत पत्थर भूखण्डों की बंदोबस्ती ई-नीलामी- सह-निविदा के माध्यम से कराये जाने हेतु समाहर्ता को शक्ति प्रत्यायोजित करने तथा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में आंकलित वार्षिक खनन योग्य पत्थर की मात्रा में स्वामिस्व दर से गुणा करने पर प्राप्त होने वाली राशि में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर प्रथम वर्ष के लिए न्यूनतम सुरक्षित मूल्य का निर्धारण किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

1. बिहार राज्यान्तर्गत अंतिम जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में चिन्हित पत्थर खनन पट्टों की बंदोबस्ती हेतु सहमति, बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम-131(छ) के तहत नामांकन के आधार पर ई-नीलामी हेतु मेटल स्क्रेप ट्रेड कॉरपोरेशन (एम०एस०टी०सी०) का चयन एवं बंदोबस्ती ई-नीलामी के माध्यम से कराये जाने की स्वीकृति राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा दी गई है।
2. गया, रोहतास, औरंगाबाद, शेखपुरा एवं बाँका जिलान्तर्गत अनुमण्डल स्तरीय समिति द्वारा जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार कर लिया गया है एवं जनसामान्य की जानकारी एवं सुझाव/आपत्ति प्राप्त करने के लिए जिला की वेबसाइट पर 21 दिनों के लिए अपलोड किया जा चुका है तथा परीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु राज्य विशेषज्ञ आंकलन समिति को भेजे जाने की कार्यवाही की जा रही है। नवादा जिला का जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकार, बिहार, पटना से अनुमोदित है।
3. बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम-22(5) में न्यूनतम सुरक्षित मूल्य का निर्धारण, विभाग द्वारा, समय-समय पर, यथा विनिश्चित करने का प्रावधान है।

4. वर्ष 2015-18 तक बिहार राज्य में कराई गई पत्थर बंदोबस्ती के लिए संबंधित जिला में हुई अंतिम नीलामी के दौरान उच्चतम रहे तीन पत्थर खनन पट्टों के बंदोबस्ती का प्रति एकड़ औसत निकाल कर अनुपातिक रूप से न्यूनतम सुरक्षित मूल्य का निर्धारण किया गया था। तत्समय की नीलामी के लिए जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन का प्रावधान नहीं था एवं खनन योग्य पत्थर की मात्रा भी पूर्व से निर्धारित नहीं होती थी।
5. राज्य में बालूघाटों की बंदोबस्ती के मामले में अंतिम जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में आंकलित खनन योग्य बालू की मात्रा एवं स्वामिस्व दर के आधार पर ही ई-नीलामी हेतु न्यूनतम सुरक्षित मूल्य का निर्धारण करने की स्वीकृति राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा दी गई है।
6. पत्थर की बंदोबस्ती के लिए पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर अंतिम नीलामी के दौरान उच्चतम रहे तीन पत्थर खनन पट्टों की बंदोबस्ती राशि को प्रति एकड़ औसत के आधार पर गणना से प्राप्त संभावित न्यूनतम सुरक्षित मूल्य एवं नव प्रारूप जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में आंकलित खनन योग्य पत्थर की मात्रा में स्वामिस्व दर (500 रु0 प्रति घनमीटर) से गुणा कर प्रथम वर्ष के लिए प्राप्त संभावित न्यूनतम सुरक्षित मूल्य की तुलना विभागीय तकनीकी समिति द्वारा समीक्षा के दौरान की गयी।
7. समीक्षा के उपरांत पाया गया कि न्यूनतम सुरक्षित मूल्य हेतु आंकलित खनन योग्य पत्थर की मात्रा में स्वामिस्व दर से गुणा कर प्राप्त होने वाली राशि पूर्व की प्रक्रिया से प्राप्त होने वाली राशि से अधिक है एवं इस प्रक्रिया से प्राप्त होने वाली राशि को न्यूनतम सुरक्षित मूल्य निर्धारण की अनुशंसा की गई।
- 8(क). उच्चस्तरीय निदेश के आलोक में गठित समिति के माध्यम से न्यूनतम सुरक्षित मूल्य निर्धारण की पुनर्समीक्षा करायी गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि –
 - i. राज्य में कई वर्षों के पश्चात पत्थर खनन के लिए ई-नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। राज्य में अच्छी गुणवत्ता का पत्थर का निक्षेप है, जिसकी माँग निजी एवं सरकारी निर्माण कार्य परियोजना में काफी है।
 - ii. वर्तमान में राज्य में पत्थर की पीट हेड मूल्य की तुलना में वास्तविक बाजार मूल्य अधिक है। बंदोबस्ती के लिए प्रस्तावित पत्थर भूखण्डों के नीलामी के लिए न्यूनतम सुरक्षित मूल्य निर्धारण हेतु उच्चतर राशि निर्धारित करने से राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि होगी।
 - iii. उच्चतर न्यूनतम सुरक्षित मूल्य निर्धारण से राज्य में पत्थर खनन पट्टा के नीलामी में केवल गंभीर एवं वित्तीय रूप से सक्षम डाकवक्ता शामिल होंगे, जिससे डिफॉल्ट होने की संभावना कम होगी।
 - iv. उच्चतर न्यूनतम सुरक्षित मूल्य निर्धारण से ऐसे डाकवक्ता भाग लेंगे, जिनके पास **working capital, machinery, environmental compliance, skilled manpower** एवं **operational discipline** अधिक हो तथा तकनीकी रूप से सक्षम होंगे एवं पर्यावरणीय शर्तों के साथ खनन पट्टों का संचालन करने में प्रतिबद्ध होंगे।
 - v. उच्चतर न्यूनतम सुरक्षित मूल्य निर्धारण से ई-नीलामी के उपरांत राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी।
- 8(ख). समिति द्वारा पत्थर भूखण्डों की ई-नीलामी के लिए अंतिम जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में आंकलित वार्षिक खनन योग्य पत्थर की मात्रा में स्वामिस्व दर से गुणा करने पर प्राप्त होने वाली राशि में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर प्रथम वर्ष की न्यूनतम सुरक्षित मूल्य निर्धारित किये जाने की अनुशंसा की गई है, जिसकी गणना निम्न सूत्र (formula) से की जा सकती है:-
 पत्थर भूखण्ड की न्यूनतम सुरक्षित मूल्य = आंकलित वार्षिक खनन योग्य पत्थर की मात्रा x स्वामिस्व दर x 1.25
9. बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम-5 एवं नियम-22 में जिला समाहर्ता की भूमिका निर्धारित है। नियम-5 एवं नियम-22 निम्न प्रकार है :-
 नियम-5 समाहर्ता की भूमिका-
 - जिले के समाहर्ता अधिनियम तथा इस नियमावली के प्रावधानों के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।
 - समाहर्ता इस नियमावली के अधीन खनन अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु सक्षम भी होगा।

- समाहर्ता जिलों के सभी खनन अधिकारियों पर सीधा नियंत्रण एवं अधीक्षण का प्रयोग करेगा।
- राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा खान विभाग के खनिज विकास पदाधिकारी से अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी अथवा राजस्व विभाग के उप समाहर्ता से अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी को, वैसे पदनाम, शक्तियों तथा कर्तव्यों के साथ, जो सरकार उचित समझे, समाहर्ता की शक्तियाँ प्रदत्त कर सकेगी।

नियम-22:- किसी खनन पट्टे के रूप में कोई खनिज समानुदान केवल लोक नीलामी-सह-निविदा द्वारा ई-बिडिंग मोड के माध्यम से और इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्गत अंतिम अधिसूचना में उपवर्णित अथवा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में, समय समय पर, यथा विनिश्चित प्रक्रिया के अनुसार, बंदोबस्त किया जाएगा -

(1) लोक नीलामी-सह-निविदा द्वारा खनिज समानुदान देने के प्रयोजनार्थ, समाहर्ता क्षेत्र का निम्नलिखित विशिष्टियाँ अधिसूचित करेगा, यथा-

- क्षेत्र तथा सीमाओं का विस्तार टोपोशीट संख्या,
- ग्राम, सर्किल का नाम, प्लॉट संख्या, खाता संख्या आदि,
- खनिज समानुदान की अवधि,
- नीलामी की तिथि, नीलामी की तिथि से एक माह पूर्व अधिसूचित की जाएगी।

10. अतः बिहार राज्यान्तर्गत पत्थर भूखण्डों की बंदोबस्ती ई-नीलामी- सह-निविदा के माध्यम से कराये जाने हेतु समाहर्ता को शक्ति प्रत्यायोजित करने तथा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में आंकलित वार्षिक खनन योग्य पत्थर की मात्रा में स्वामिस्व दर से गुणा करने पर प्राप्त होने वाली राशि में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर प्रथम वर्ष के लिए न्यूनतम सुरक्षित मूल्य का निर्धारण किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

11. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक-01.07.2026 की बैठक के मद संख्या-03 में दी गई है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार गजट के असाधारण अंक में किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भारत भूषण प्रसाद,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 758-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>